



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273885
CG-DL-E-27062026-273885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]
No. 417]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

फा. सं. टी-21032/1/2020-एनआईसी (ड). — भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (थ) के साथ पठित भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम 2017 के नियम 4 के उपनियम (1क) और नियम 25 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निर्धारित करता है कि नीचे दी गई तालिकाओं में निर्दिष्ट कृषि और गैर-कृषि (धातुओं के अलावा) वस्तुओं (पहले से अधिसूचित वस्तुओं के अतिरिक्त) को किसी पंजीकृत भाण्डागार में भंडारित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका 1 – कृषि वस्तुएँ

क्र.सं.	वस्तु का नाम
(1)	(2)
1	कचूर

2	चिया बीज
3	आम का गूदा
4	भूना हुआ चिकोरी पाउडर
5	कलौंजी (निगेला)
6	महुआ फूल

तालिका 2 – गैर-कृषि वस्तुएं (धातुओं के अलावा)

क्र.सं.	वस्तु का नाम
(1)	(2)
1	डाई-अमोनियम फॉस्फेट
2	रॉक फॉस्फेट
3	मैग्नीशियम सल्फेट

2. दोनों तालिकाओं में निर्दिष्ट वस्तुएं एगमार्क या भारतीय मानक ब्यूरो या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) के गुणात्मक विनिर्देशों या मानकों का अनुपालन करेंगी:

बशर्ते कि यदि इन वस्तुओं के लिए एगमार्क या भारतीय मानक ब्यूरो या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के मानक मौजूद नहीं हैं, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक लागू होंगे।

3. रासायनिक या संबद्ध प्रयोगशाला विश्लेषण की आवश्यकता वाली वस्तुओं के लिए, सभी एगमार्क प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं और उनके द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाओं को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

सरवनन पी. के., उप सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./186/2026-27]

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

F. No. T-21032/1/2020-NIC (E).— In exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (2) of section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) read with sub-rule (1A) of rule 4 and clause (a) of rule 25 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017, the Warehousing Development and Regulatory Authority hereby determines that the agricultural and non-agricultural (other than metals) commodities specified in the tables below (in addition to the previously notified commodities) shall be stored in a registered warehouse, namely:-

Table 1 – Agricultural Commodities

S.No	Name of the Commodity
(1)	(2)
1	Karchura (Curcuma zedoaria)
2	Chia seeds
3	Mango Pulp
4	Roasted chicory powder
5	Kalonji (Nigella)
6	Mahua Flower

Table 2 – Non-Agricultural Commodities (other than metals)

S.No.	Name of the Commodity
(1)	(2)
1	Di-ammonium Phosphate
2	Rock Phosphate
3	Magnesium Sulphate

2. The commodities specified in both the tables shall comply with the qualitative specifications or standards of the AGMARK or Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India or National Agriculture Market (eNAM):

Provided that in case, standards of AGMARK or Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India or National Agriculture Market (eNAM) do not exist for these commodities, quality standards laid down by the Central Government or State Governments or Governmental bodies shall be applicable.

3. For the commodities requiring chemical or allied laboratory analysis, all AGMARK laboratories, all accredited laboratories notified by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories and laboratories recognized by the Bureau of Indian Standards, Food Safety and Standards Authority of India, Central Government or the State Government laboratories and other laboratories recognised by them are authorised for laboratory testing.

SARAVANAN PK, Dy. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./186/2026-27]